

तारीख
हुक्म

05/09/21

आप पत्रवली पेश हुई, बार-बार आपाप
डिलवागे पर भी छापी व उतका वकील उफो
नहीं मिले जादि होता है कि छापी अप,
आगे चलाने में रुचिक नहीं है

अतः छापी का पार्थना पर आइम दायरी प्र.
वली में खारिज किया जात है तथा आपा
आप दिनांक 06.12.16 का पार्थी अंतरिम
अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।
पत्रवली कैशल शुकाई होकर दाखिल इस्त
ही।

(सुरेश पलाउ)

सहायक कलक्टर

(फास्ट्रक)

नगर (बसपुर) राव.

